

उनवान

रामदेव पिता देबी चमार निवासी झांतल, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

(प्रार्थी)

बनाम

1. ब्रह्मचंकर पिता नारायण शर्मा निवासी झांतल, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. महावीर पिता जगदीश शर्मा निवासी झांतल, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. देबी पिता उंकार बैरवा निवासी झांतल, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. नमेश पिता बरदा बैरवा निवासी झांतल, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. काना पिता गोगल दरोगा निवासी झांतल, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
6. धीनु पिता मोहन बैरवा निवासी झांतल, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 11.04.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तह न्यायालय में दिनांक 01.03.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मूशा पटवार मण्डल मूशी जिला उपरेडा तहसील बनेडा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 268 के आ0न0 105, 129, 132, कुल किता 04 कुल रकबा 06-04 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.03.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह हिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नियत पैशी पर अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विरक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मूशा पटवार मण्डल मूशी जिला उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 268 के आ0न0 105, 129, 132, 133 कुल किता 04 कुल रकबा 06-04 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की ओर का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक उपरेडा को 30/- रुपये कीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को उभय मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार जिला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 11.04.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/38/2017

प्रतिलिपि-

तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित है।

(रतनलाल रेगर)